राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक प. 2(1)कार्मिक/क–2/2014 जयपुर, दिनांकः 6.06.2014

विषयः– अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन कराये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि कृपया संलग्न **राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014** की अंग्रेजी भाषा की अधिसूचना दिनांक 28.01.2014 को दिनांक 28.01.2014 असाधारण राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर. में प्रकाशित कराये जाने हेतु भाषा विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आपको प्रेषित की गई थी।

अब उक्त नियम की हिन्दी अनुवाद की अधिसूचना **दिनांक 28.01.2014** संलग्न कर लेख है कि इसे राजस्थान के आगामी अंक में यथाशीघ्र प्रकाशित कराये जाने हेतु अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्राधिकृत पत्र जारी करने की व्यवस्था करें।

संलग्न–उपरोक्तानुरार।

भवदीय,

(शैलेन्द्र श्रीमाली)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दिनांक के राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस. आर. में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित है। कृपया अधिसूचना से संबंधित राजपत्र की तीन प्रतियां इस विभाग को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ।
2. सहायक शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को, मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या **21/2014** दिनांक 28.01.2014 एवं ज्ञापन क्रमांक एफ 3(14) सेवानियम/टीएडी/2013–14 दिनांक 27.01.2014 के संदर्भ में।
3. प्रमुख शासन सचिव/शासन उप सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग को 9 अति0 प्रतियों के साथ ।
6. विधि (संहिताकरण)/विधि पुस्तकालय/सहायक विधि प्रारूपकार (प्रारूपण)।
7. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भीः–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को 25 प्रतियों के साथ ।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा (अधीनस्थ विधान संबंधी समिति) जयपुर को 20 प्रतियों के साथ।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सम्पादक, शिविरा/सचिवालय संदेश/लेखाविज्ञ।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7. रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को 5 प्रतियों सहित।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अद्यतन लिपिक को 5 प्रतियों में।
7. गार्ड फाईल।

संयुक्त शासन सचिव

N.K./forwarding Notification/2014/6 13/2014

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं. एफ.2(1)डीओपी/ए–II/2014 ज़यपुर, दिनांक :28.01.2014

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान राज्य के भीतर स्थित अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सृजित अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की पद (पदों) पर भर्ती तथा उनकी सेवाओं की शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014.

भाग 1

साधारण

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना** .– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये,राज्य के कार्यकलाप के संबंध में पदों पर नियुक्तों के लिए सरकार के प्रशासनिक नियत्रंण के अधीन, राजस्थान राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों में सृजित, विभिन्न विभागों की अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के संपूर्ण स्थापन पर लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं** .– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में, –

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से संबंधित सेवा नियमों में अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा पदों या सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत पदों के संबंध में परिभाषित नियुक्ति प्राधिकारी और ऐसा अन्य अधिकारी अभिप्रेत है

जिसे सरकार द्वारा, विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसी शर्तों पर, जो वह उचित समझे, इस निमित्त शक्तियां प्रत्यायोजित की जायें ;

(ख) **"आयोग"** से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) **"समिति"** से नियम 28 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(घ) **"विभाग"** से सरकार का संवर्ग/सेवा से संबंधित विभाग, जिससे रिक्ति संबंधित है, अभिप्रेत है ;

(ड.) **"सीधी भर्ती"** से इन नियमों के भाग 4 में यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी भर्ती अभिप्रेत है ;

(च) **"सरकार"** से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है ;

(छ) **"सेवा का सदस्य"** से इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित किये गये नियमों या आदेशों के उपबंधों के अधीन सेवा में के किसी पद पर नियमित चयन के आधार पर नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ज) **"अनुसूची"** से, संबंधित विभाग के अधीन पदों से संबंधित, सुसंगत सेवा नियमों से संलग्न अनुसूची–I, अनुसूची–II, अनुसूची–III तथा अनुसूची–IV और/या कोई अन्य अनुसूची अभिप्रेत है ;

(झ) **"अनुसूचित क्षेत्र"** से भारत के राष्ट्रपति द्वारा, समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 19(2)80–एल–1, दिनांक 12.02.1981 द्वारा इस प्रकार घोषित क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ञ) **"सेवा"** से संबंधित विभाग की राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ सेवा, लिपिकवर्गीय सेवा या, यथास्थिति, चतुर्थ श्रेणी सेवा अभिप्रेत है ;

(ट) **"सेवा" या "अनुभव"** जहां कहीं भी इन नियमों में, उच्चतर पद (पदों) पर पदोन्नति के लिए पात्र किसी (किन्हीं) निम्नतर पद धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा के भीतर एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पद (पदों) पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में विहित हो, उसमें ऐसी कालावधि सम्मिलित होगी, जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् ऐसे निम्नतर पद (पदों) पर निरन्तर कार्य किया हो ;

टिप्पण : सेवा के दौरान की ऐसी अनुपस्थिति, उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन "ड्यूटी" के रूप में मानी जाती है, पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव या सेवा की संगणना करने के लिए सेवा के रूप में गिनी जायेगी।

(ठ) **"राज्य "** से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है ;

(ड) **"अधिष्ठायी नियुक्ति"** से इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के पश्चात् किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गयी नियुक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की गयी कोई नियुक्ति भी है जिस पर परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण किया जाता हो ;

टिप्पण : इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के अन्तर्गत, अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के सिवाय, सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गयी या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं भी नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गयी भर्ती आयेगी ; और

(ढ) **"वर्ष"** से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. **निर्वचन.–** जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग 2
संवर्ग

4. **सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या.–** (1) सेवा के प्रत्येक प्रवर्ग में सम्मिलित अधीनस्थ सेवा, लिपिकवर्गीय सेवा, चतुर्थ श्रेणी सेवा के पद ऐसे होंगे जो

संबंधित विभाग में प्रवृत्त, तत्संबंधी भर्ती नियमों से संलग्न अनुसूची–I, अनुसूची–II, अनुसूची–III तथा अनुसूची–IV और/या, यथास्थिति, किसी अन्य अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथाविनिर्दिष्ट हैं।

(2) सेवा में पद (पदों) की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये :

परन्तु सरकार –

(क) आवश्यक प्रतीत होने पर कोई भी स्थायी या अस्थायी पद (पदों को) समय–समय पर सृजित कर सकेगी और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किसी पद (पदों) को उसी रीति से समाप्त कर सकेगी ; और

(ख) किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय–समय पर, खाली या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त कर सकेगी।

5. **सेवा का गठन** .– सेवा निम्नलिखित से गठित होगी :–

(क) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अनुसूचित क्षेत्र में पद (पदों) को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले व्यक्ति ;

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ के पूर्व सेवा में सम्मिलित पद (पदों) पर भर्ती किये गये और अनुसूचित क्षेत्र में रहे तथा नियम 6 के उप–नियम (3) में यथा उपबंधित सेवा का विकल्प करने वाले समस्त व्यक्ति ; और

(ग) इन नियमों के नियम 6 में अधिकथित भर्ती की किसी रीति द्वारा सेवा में भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति।

भाग 3

भर्ती

6. **भर्ती की रीतियां .–** (1) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् सेवा में के पद (पदों) पर भर्ती, संबंधित विभागाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन, प्रवृत्त सुसंगत भर्ती नियमों से संलग्न अनुसूची या, यथास्थिति, अनुसूचियों में यथा–उपदर्शित अनुपात में, निम्नलिखित रीतियों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) इन नियमों के भाग 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ; और

(ख) इन नियमों के भाग 5 में विहित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा।

(2) उपर्युक्त रीतियों द्वारा सेवा में भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक रीति से सेवा में नियुक्त व्यक्ति किसी भी समय अनुसूचित क्षेत्रों हेतु नियमों/अनुसूचियों में अधिकथित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए समय–समय पर यथा स्वीकृत कुल संवर्ग संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं हों :

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि किसी वर्ष–विशेष में भर्ती की किसी एक रीति से नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो विहित अनुपात को शिथिल करते हुए नियुक्ति, अन्य रीति से उसी प्रकार की जा सकेगी जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(3) अनुसूचित क्षेत्र में के पदासीन विद्यमान व्यक्तियों के पास विद्यमान स्थिति में उनके आमेलन के लिए संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी से इस प्रभाव की संसूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर एक बारीय विकल्प होगा। इस प्रकार से आमेलित व्यक्ति को इस संवृत्त संवर्ग के बाहर स्थानान्तरित और/या प्रतिनियुक्त किये जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। परन्तु, इस प्रकार प्राप्त विकल्पों पर समिति द्वारा स्क्रीनिंग के लिए यह विचार किया जायेगा कि इसके द्वारा यह विचार किया जाये कि किसी ऐसे व्यक्ति को आमेलित किया जाये या नहीं। आमेलित नहीं किए गए व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति किसी प्रतिनियुक्ति फायदे के बिना तब तक जारी रहेगी जब तक कि इस पद के प्रति नियमित भर्ती नहीं की जाती।

(4) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आपात के दौरान थल सेना/वायुसेना/नौ सेना में पदग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशों और अनुदेशों से विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें, बशर्ते कि इन्हें भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किया जाये।

7. **मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों/पैरा-मिलिटरी कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति .-** (1) इन नियमो में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, शैक्षिक अर्हताओं और सुसंगत सेवा नियमों के अधीन विहित अन्य सेवा शर्तों को पूरा करने और कार्मिक विभाग तथा आयोग, यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है, की सहमति के अध्यधीन रहते हुए -

(i) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पीबी-1, ग्रेड वेतन सं. 10 तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में स्थायी रूप से अशक्त हो जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके ;

(ii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पीबी-2, ग्रेड वेतन सं. 12 तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके ;

(iii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पीबी-1 ग्रेड वेतन सं. 10 तक के पदों की रिक्तियाँ, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य, जो 01.01.1971 से 31.03.1999 तक की कालावधि के दौरान युद्ध या विद्रोह

की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा जाता है या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था, के आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके,

भर सकेगा :

परन्तु –

(क) यदि सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी के स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक राज्य सरकार के अधीन स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त करने में समर्थ और इच्छुक हों तो उन्हें रोजगार दिया जायेगा ;

(ख) यदि सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी के कार्मिक, जिसकी मृत्यु हो गयी है या जों स्थायी रूप से अशक्त हो गया है, की विधवा या बच्चे तुरन्त रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं तो नियुक्ति के लिए पात्रता अर्जित करने पर उन्हें रोजगार दिया जायेगा ;

(2) सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों के कार्मिक के आश्रित को नियुक्ति केवल तब दी जायेगी जब उनमें से किसी एक ने भारत सरकार के विद्यमान संबंधित सेवा नियमों के उपबंधों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं पा ली है।

(3) यदि सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों के कार्मिक की मृत्यु के समय उनके अन्य आश्रितों में से कोई भी केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय/राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कानूनी बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से नियोजित हो तो ऐसे आश्रित को नियुक्ति नहीं दी जायेगी :

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं अपने लिए रोजगार चाहती है ;

(4) ऐसा आश्रित उक्त प्रयोजन के लिए आवेदन सशस्त्र बलों के मामले में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को और पैरा–मिलिटरी बलों के लिए पैरा–मिलिटरी यूनिट के कमान अधिकारी को सम्बोधित करेगा जो उस यूनिट के प्रधान द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित हो जहां सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों का मृत/स्थायी रूप से अशक्त सदस्य

मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के समय सेवारत था। ऐसे आवेदन पर, सामान्य भर्ती नियमों को शिथिल करते हुए इस शर्त के अध्यधीन विचार किया जायेगा कि आश्रित ऐसे पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव, सिवाय चतुर्थ श्रेणी पर नियुक्ति के, जिसके लिए शैक्षिक अर्हता तथा आयु सीमा शिथिल की जायेगी, पूरी करता है और आवेदक सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्हित भी है।

(5) ऐसे आश्रित का आवेदन आश्रित द्वारा रखी जाने वाली अर्हताओं के अनुसार उपयुक्त नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अग्रेषित किया जायेगा। जिले के अनुसूचित क्षेत्र में और अनुसूचित क्षेत्र के बाहर भी रिक्ति उपलब्ध न होने की दशा में आवेदन खण्ड आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन के किसी भी अन्य अनुसूचित क्षेत्र/जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा।

(6) यदि खण्ड आयुक्त की अधिकारिता के अधीन और संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र के भीतर भी कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति देने के लिए खण्ड आयुक्त द्वारा आवेदन, सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायगा।

(7) आवेदन में निम्नलिखित सूचनाएं होंगी :–

(i) सशस्त्र बल/पैरा–मिलिटरी बल के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का नाम और पदनाम ;

(ii) यूनिट जिसमें वह मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के पूर्व कार्यरत था/थी;

(iii) युद्ध में हताहत या स्थायी रूप से अशक्त घोषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ मृत्यु की तारीख और स्थान ;

(iv) आवेदक का नाम, जन्म की तारीख, शैक्षिक अर्हता और मृतक के साथ उसका संबंध (प्रमाणपत्रों सहित)।

स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन के लिए –

(क) **"सशस्त्र बल"** से संघ की सेना, नौ सेना और वायु सेना अभिप्रेत है ;

(ख) **"आश्रित"** से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति का पति या पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री अभिप्रेत है जो मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिक/पैरा–मिलिटरी कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित थे ;

टिप्पण :– दत्तक पुत्र/पुत्री से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति द्वारा उसके जीवनकाल में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है।

(ग) **"पैरा–मिलिटरी बल"** से सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और कोई अन्य पैरा–मिलिटरी बल अभिप्रेत है जो केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये।

(घ) "स्थायी रूप से अशक्त" व्यक्ति से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का अधिनियम सं. 1) में यथा उपबंधित ''निःशक्त व्यक्ति'' पद की परिभाषा के अधीन आता है।

8. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.– (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए भर्ती अर्थात् सीधी भर्ती और पदोन्नति के समय प्रवृत्त ऐसे आरक्षण के लिए अनुसूचित क्षेत्र में प्रचलित विधि के अनुसार होगा।

(2) पदोन्नति के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां वरिष्ठता–एवं–योग्यता द्वारा भरी जायेंगी।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे पात्र अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में, जो अनुसूचित क्षत्रों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका कौनसा रैंक है, इस पर ध्यान न देते हुए उसी क्रमानुसार नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिए

आयोग/समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी या पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।

(4) नियुक्तियां सर्वथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए विहित पृथक्–पृथक् रोस्टरों के अनुसार की जायेंगी।

(5) किसी वर्ष–विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित, जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्‌वर्ती तीन भर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी :

परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्‌वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

(6) किसी वर्ष–विशेष में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रनीत किया जायेगा जब तक अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का/के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता है/जाते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी से नहीं भरी जायेगी। आपवादिक मामलों में, जहां नियुक्ति प्राधिकारी लोकहित में यह महसूस करे कि रिक्त आरक्षित पद को अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से पदोन्नति द्वारा भरना आवश्यक है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी कार्मिक विभाग को निर्देश कर सकेगा और कार्मिक विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अर्जेण्ट अस्थायी

आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी को पदोन्नत करके ऐसे पद को पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित करते हुए भर सकेगा कि सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को, जिन्हें अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त पद के प्रति अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है, जब कभी भी उस प्रवर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध हो, वह पद रिक्त करना होगा।

9. **महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण** .– सीधी भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र की महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा जिसमें से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विच्छिन्न–विवाह अभ्यर्थियों के लिए होगा। किसी वर्ष–विशेष में पात्र और उपयुक्त विधवाओं और विच्छिन्न–विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, विधवाओं और विच्छिन्न–विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ अन्य महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेंगी और आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, आनुपातिक रूप में समायोजित किया जायेगा :

परन्तु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्स ग्रेड–II पद के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण 30 प्रतिशत की बजाय 50 प्रतिशत प्रवर्गवार होगा जिसमें से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विच्छिन्न–विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा।

स्पष्टीकरण :– विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न–विवाह महिला के मामले में उसे विवाह–विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

10. **उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण** :– अनुसूचित क्षेत्र के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण उस वर्ष में सीधी भर्ती के लिए चिह्नित, आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर की कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष–विशेष में

पात्र और उपयुक्त खिलाड़ियों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेंगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा तथा इसे उस प्रवर्ग में समायोजित किया जायेगा, जिससे वे खिलाड़ी संबंधित हैं।

स्पष्टीकरण :– "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने–

(i) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो ;

या

(ii) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो ;

या

(iii) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

(iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

11. **भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण** .– सम्यक् रूप से सेवोन्मुक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण ड्राइवर के पद हेतु सीधी भर्ती की कुल रिक्तियों का एक तिहाई होगा। ऐसा आरक्षण प्रवर्गवार होगा और अपनी स्वयं की योग्यता पर चयनित भूतपूर्व सैनिक की गणना भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति की जायेगी। किसी प्रवर्ग में उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में रिक्ति

उसी प्रवर्ग के अन्य उपयुक्त अभ्यर्थियों से उनकी योग्यताक्रम में भरी जायेगी और अग्रनीत नहीं की जायेगी। आरक्षण विभक्त क्षैतिज आरक्षण के रूप में माना जायेगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए चालक से मोटर यान का चालक, यान चालक, मोटर/ट्रेक्टर चालक, ट्रेक्टर चालक/जीप चालक/ट्रक चालक अभिप्रेत है।

12. **राष्ट्रीयता** .– सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह –

(क) भारत का नागरिक हो और राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर वास्तविक अधिवास हो; या

(ख) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया तिब्बती शरणार्थी हो और राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर वास्तविक अधिवास हो ; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा तथा संयुक्त तनजानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जैरे और इथियोपिया से आया हो और राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर वास्तविक अधिवास हो :

परन्तु प्रवर्ग (ग) का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा समुचित सत्यापन के पश्चात् पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

13. **रिक्तियों का अवधारण**.– (1) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या अवधारित करेगा।

(2) जहां कोई पद अनुसूचियों में यथा विहित किसी एकल रीति से भरा जाना हो वहां इस प्रकार अवधारित रिक्तियां उस रीति से भरी जायेंगी।

(3) जहां कोई पद अनुसूचियों में यथा विहित एक से अधिक रीतियों से भरा जाना हो वहां ऐसी प्रत्येक रीति के लिए उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन अवधारित रिक्तियों का प्रभाजन पहले ही भर लिये गये पदों की संपूर्ण संख्या के विहित अनुपात को बनाये रखते

हुए किया जायेगा। यदि ऊपर विहित रीति से रिक्तियों के प्रभाजन के पश्चात् रिक्तियों का कोई भाग छूट जाये तो उसे पदोन्नति कोटे में अग्रता देते हुए निरंतर चक्रीय क्रम में विहित रीतियों के कोटे के प्रति प्रभाजित किया जायेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, पूर्वतर वर्ष (वर्षों) की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, वर्षवार अवधारित करेगा बशर्ते कि ऐसी रिक्तियां पहले अवधारित न की गयी हों और उस वर्ष में, जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गयी हों।

14. आयु.-- सेवा में के पद (पदों) पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु या किसी पद के सामने अनुसूची–I और/या अनुसूची–II के अभियुक्तियां वाले स्तम्भ में यथा उल्लिखित आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए :

परन्तु –

(i) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को –

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ;

(ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक,

शिथिल किया जायेगा।

(ii) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था ;

(iii) अन्य भूतपूर्व कैदियों के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा बशर्ते कि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था ;

(iv) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा ;

(v) राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ निगमों के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहें व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी ;

(vi) विधवाओं और विच्छिन्न–विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी :

स्पष्टीकरण :– विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न–विवाह के मामले में उसे विवाह–विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

(vii) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अन्तिम रूप से उपस्थित होने के समय ऊपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक दिये जायेंगे ;

(viii) रिजर्विस्टों अर्थात् रक्षा सेवा कार्मिकों जिनको रिजर्व में स्थानान्तरित किया गया था के लिए उपर्युक्त उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी ;

(ix) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे ; और

(x) यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।

15. शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताएं तथा अनुभव.– अनुसूची–I, अनुसूची–II, अनुसूची–III तथा अनुसूची–IV और/या, यथास्थिति, किसी अन्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद (पदों) पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं रखेगा :–

(i) अनुसूची–I, अनुसूची–II, अनुसूची–III तथा अनुसूची–IV और/या, यथास्थिति, इन सेवा नियमों में से किसी से संलग्न किसी अन्य अनुसूची के सुसंगत स्तम्भ (स्तम्भों) में यथा विहित अर्हताएं तथा अनुभव ;

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान :

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूचियों में यथा–उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका/चुकी है या उपस्थित हो रहा/रही है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी किन्तु उसे, –

(i) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व ;

(ii) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व ; और

(iii) जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,

समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

16. **चरित्र .—** सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्राचार्य/शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और साथ ही ऐसे दो प्रमाणपत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिएं जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हों और न उसके संबंधी हों।

टिप्पण : (1) किसी न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि मात्र में सच्चरित्रता प्रमाणपत्र न दिये जाने का आधार अन्तर्वलित नहीं है। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है या उनका संबंध हिंसात्मक अपराधों या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है, जिसका उद्‌देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो दोषसिद्धि मात्र को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और पश्चात्‌वर्ती सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए इस

आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्धदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा, यदि वे 'पश्चात्‌वर्ती देखरेख गृह' के अधीक्षक की, या यदि किसी जिला–विशेष में ऐसे गृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(3) उन व्यक्तियों से, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, सिद्धदोष ठहराया गया है, पश्चात्‌वर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक का, या यदि किसी जिला–विशेष में ऐसा गृह नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का, कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्‌वर्ती देखरेख गृह में अपने पश्चात्‌वर्ती सदाचरण से यह सिद्ध कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं अतः नियोजन के लिए उपयुक्त हैं, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

17. **शारीरिक उपयुक्तता.**– सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी जो पहले से राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पद (पदों) के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के तुल्य हो और आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यदक्षता में कोई कमी न आयी हो।

18. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग.– ऐसा अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं हैं या मिथ्या हैं या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लाने का दोषी है या इन नियमों में निर्दिष्ट आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी/समिति द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त :–

(क) अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से आयोग/समिति/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ;

(ख) सरकार के अधीन नियोजन से सरकार द्वारा,

या तो स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

19. संयाचना.– इन नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरर्हित कर सकेगा।

भाग 4

सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

20. आवेदन आमंत्रित करना.– सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा या, यथास्थिति, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसे सरकार ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, विशेष या साधारण आदेश द्वारा इस निमित्त शक्तियां प्रत्यायोजित करे, भरी जाने वाली रिक्तियों को राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो ठीक समझी जाये, विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर

से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा। विज्ञापन में, आरक्षणों को विनियमित करने वाले नियमों में उपबंधित किये गये अनुसार प्रवर्गवार रिक्तियों की संख्या और क्षैतिज आरक्षण उदाहरणार्थ निःशक्त व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों आदि की रिक्तियों के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे :

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का चयन करते समय आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के पूर्व प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

21. **सीधी भर्ती की आवृत्ति** .– अनुसूची–I, अनुसूची–II, अनुसूची–III तथा अनुसूची–IV और/या, यथास्थिति, किसी अन्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद पर सीधी भर्ती तब तक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी जब तक कि सरकार यह विनिश्चय नहीं कर ले कि इनमें से किसी पद के लिए किसी वर्ष–विशेष में सीधी भर्ती आयोजित नहीं की जायेगी।

22. **आवेदन का प्ररूप** .– आवेदन आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में किया जायेगा और वह आयोग के सचिव या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय से ऐसी फीस का संदाय करके, जो उसके द्वारा नियत की जाये, प्राप्त किया जा सकेगा :

23. **आवेदन फीस** .– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसी फीस का, जो वह समय–समय पर नियत करे ऐसी रीति से, जो वह उपदर्शित करे, संदाय करेगा।

24. **आवेदन की संवीक्षा** .– आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी अपने द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित इतने

अभ्यर्थियों से, जितने वह वांछनीय समझे, साक्षात्कार या पतियोगी परीक्षा या, यथास्थिति, दोनों हेतु अपने समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी के पात्र होने या अन्यथा के बारे में आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

25. **सिफारिशें** .– (1) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी या, यथास्थिति, कोई अन्य प्राधिकारी, जिसे सरकार, विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसी शर्तों पर, जो वह उचित समझे, इस निमित्त शक्तियां प्रत्यायोजित करे, ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वह संबंधित पद (पदों) पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे, एक सूची तैयार करेगा और उसे योग्यता क्रम में व्यवस्थित करेगा। आयोग/इस प्रकार सशक्त अधिकारी ऐसी सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(2) परन्तु आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी/यथास्थिति, इस प्रकार सशक्त अधिकारी विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के प्रवर्गवार नाम आरक्षित सूची में रख सकेगा। आयोग/इस प्रकार सशक्त अधिकारी द्वारा, अध्यपेक्षा किये जाने पर, ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यता क्रम में सिफारिश, उस तारीख से, जिसको मूल सूची उसके द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की जाती है, छह मास के भीतर–भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को की जा सकेगी। आरक्षित सूची नियुक्त किये गये व्यक्ति को पद प्रस्तावित किये जाने पर उसके द्वारा अधिभुक्त नहीं की गयी रिक्ति को ही भरने के लिए है न कि नयी सृजित रिक्ति को भरने के लिए।

26. **नियुक्ति के लिए निरर्हताएं** .– (1) कोई अभ्यर्थी, जिसकी/जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी सिवाय उस दशा के जब सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए वैयक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(2) कोई अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पति/पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी सिवाय उस दशा के जब

सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय या उसके पश्चात् किसी भी समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह कि :

(i) दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढोतरी नहीं होती है।

(ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

(iv) यह उप–नियम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के उपबंधों के अधीन किसी विधवा को दी जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होगा।

27. **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन** .– नियम 8, 9, 10 और 11 के उपबन्धों के अध्यधीन, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों का, नियम 25 के अधीन तैयार की गई सूची में योग्यता क्रम में चयन करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त है।

भाग 5
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

28. **विभागीय पदोन्नति समिति का गठन** .– समिति का गठन निम्न प्रकार होगा,–

(क) आयोग के कार्यक्षेत्र में आने वाले पद (पदों) के लिए :–

1.	आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य	अध्यक्ष
2.	प्रशासनिक विभाग का शासन सचिव, या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो	सदस्य
3.	शासन सचिव, कार्मिक विभाग या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो	सदस्य
4.	संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य–सचिव।

(ख) आयोग के कार्यक्षेत्र में न आने वाले और समिति ग के कार्यक्षेत्र में के पदों से भिन्न पद (पदों) के लिए :

1.	सम्बंधित विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	विभागाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी	सदस्य
3.	मुख्यालयों पर का संस्थापन प्रभारी	सदस्य–सचिव :

परन्तु यदि समिति के गठन में सम्मिलित कोई सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य–सचिव संबंधित पद पर नियुक्त नहीं किया गया है तो तत्समय उस पद का

प्रभार धारित करने वाला अधिकारी समिति का सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य–सचिव होगा।

टिप्पण : लिपिकवर्गीय सेवा के पदों के संबंध में समिति का गठन ऐसे होगा जैसा कि सरकार द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के अधीन किया गया।

(ग) पी.बी. 1 के पद (पदों) या सरकार द्वारा समय समय पर सृजित, समिति के कार्यक्षेत्र में के, समय समय पर संशोधित किसी अन्य पद के लिए चयन निम्नलिखित से गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा :–

(1) विभागाध्यक्ष या उसका प्रतिनिधि (क्षेत्रीय स्तर अधिकारी से नीचे की रैंक का न हो)।

(2) जिला कलक्टर या उसका प्रतिनिधि।

(3) विभाग का जिला स्तर अधिकारी।

स्पष्टीकरण : "जिला स्तर अधिकारी" से सम्बंधित जिला कलक्टर या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस रूप में घोषित अधिकारी अभिप्रेत है और "क्षेत्रीय स्तर अधिकारी" से संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस रूप में घोषित अधिकारी अभिप्रेत है।

समिति ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वह संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे, दूरी के संदर्भ में संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में लेते हुए रिक्ति के स्थान वाले अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को अग्रता देते हुए, योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची तैयार करेगी और उसे संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी।

29. **पदोन्नति के लिए कसौटी, पात्रता और प्रक्रिया** .– (1) ज्योंही नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के नियम 13 के अधीन रिक्तियों की संख्या अवधारित करे और यह विनिश्चित करे कि कतिपय संख्या में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं त्योंही वह उप–नियम (6) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे वरिष्ठतम व्यक्तियों की सही एवं

पूर्ण सूची तैयार करेगा, जो संबंधित पद के वर्ग में वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए इन नियमों के अधीन पात्र और अर्हित हैं।

(2) अनुसूची–I, अनुसूची–II, अनुसूची–III तथा अनुसूची–IV और/या, यथास्थिति, किसी अन्य अनुसूची के सुसंगत स्तम्भ (स्तम्भों) में प्रगणित व्यक्ति चयन वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन सुसंगत स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए, पदोन्नति के लिए सुसंगत स्तम्भ में उपदर्शित अनुपात तक उसके स्तम्भ सं. 2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट पद (पदों) पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

(3) किसी भी व्यक्ति की सेवा में प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद पर, जिससे इन नियमों के उपबंधों के अधीन विहित भर्ती की किसी एक रीति के अनुसार पदोन्नति की जानी हो, नियमित रूप से चयनित न हुआ हो।

स्पष्टीकरण :– यदि किसी वर्ष–विशेष में किसी पद (पदों) पर पदोन्नति द्वारा नियमित चयन के पूर्व सीधी भर्ती कर ली गयी हो तो ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए भी विचार किया जायेगा जो भर्ती की दोनों रीतियों से उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं या थे और जो पहले सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

(4) ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, पांच भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों :

परन्तु –

(i) दो से अधिक संतानों वाला सरकारी कर्मचारी पदोन्नति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(ii) जहां किसी व्यक्ति के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों

की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

(5) सेवा में सम्मिलित पद (पदों) पर पदोन्नति के लिए चयन वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर किया जायेगा।

(6) पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों के संबंध में विचार की संख्या–सीमा निम्नलिखित होगी :–

(i) रिक्तियों की संख्या	विचार किये जाने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या
(क) एक रिक्ति के लिए	पांच पात्र व्यक्ति
(ख) दो रिक्तियों के लिए	आठ पात्र व्यक्ति
(ग) तीन रिक्तियों के लिए	दस पात्र व्यक्ति
(घ) चार या अधिक रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या के तीन गुने के बराबर पात्र व्यक्ति।

(ii) जहां उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या ऊपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो वहां इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जायेगा।

(iii) जहां अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में ऊपर विनिर्दिष्ट विचार की संख्या–सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हों वहां विचार की संख्या–सीमा रिक्तियों की संख्या के सात गुना तक बढ़ायी

जा सकेगी और इस प्रकार बढ़ायी गयी विचार की संख्या–सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति (कोई अन्य नहीं) के अभ्यर्थियों के बारे में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति भी विचार किया जायेगा।

(iv) सेवा में के किसी पद के लिएः–

(क) यदि पदोन्नति समान वेतनमान में एक से अधिक पद–प्रवर्गों से हो तो पदोन्नति के लिए समान वेतनमान में प्रत्येक प्रवर्ग से संख्या में दो तक पात्र व्यक्तियों पर विचार किया जायेगा।

(ख) यदि पदोन्नति भिन्न–भिन्न वेतनमान वाले एक से अधिक पद–प्रवर्गों से होनी हो तो पदोन्नति के लिए पहले उच्चतर वेतनमान में के पात्र व्यक्तियों पर विचार किया जायेगा और यदि उच्चतर वेतनमान में वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो केवल तब ही निम्नतर वेतनमान में के अन्य पद–प्रवर्गों के पात्र व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। इस मामले में पात्रता के लिए विचार की संख्या–सीमा कुल मिलाकर पाँच वरिष्ठतम पात्र व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगी।

(7) इस नियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें, समिति का गठन और चयन के लिए प्रक्रिया वही होगी जो इन नियमों में अन्यत्र विहित है।

(8) समिति, ऐसे समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद (पदों) के वर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र और अर्हित हैं और इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों के नाम अन्तर्विष्ट करते हुए इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर नामों की एक सूची तैयार करेगी। वरिष्ठता–एवं–योग्यता के

आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची उस पद (पदों) के प्रवर्ग के वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी जिससे चयन किया गया है।

(9) समिति, इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर एक सूची भी तैयार कर सकेगी जिसमें अस्थायी या स्थायी रिक्तियों को, जो बाद में हों, भरने के लिए उपर्युक्त उप–नियम (8) के अधीन तैयार की गयी सूची में चयनित व्यक्तियों की संख्या से अनधिक व्यक्तियों के नाम होंगे। वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची पद के उस प्रवर्ग में, जिसमें से चयन किया जायेगा, वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी। ऐसी सूची को ऐसी समिति द्वारा पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चात्‌वर्ती वर्ष में हो और ऐसी सूची ऐसे वर्ष के अंतिम दिन तक प्रवृत्त रहेगी जिसके लिए समिति की बैठक की जाये।

(10) उप–नियम (8) और (9) के अधीन तैयार की गई सूचियां, उनमें सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के और ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के, जिनका चयन नहीं किया गया हो, यदि कोई हों, के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों/वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों और अन्य सेवा अभिलेखों के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेंगी।

(11) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात्, यदि किसी पश्चात्‌वर्ती वर्ष में, किसी पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, इन नियमों के अधीन अवधारित की जाती हैं तो समिति उस वर्ष, जिसमें समिति की बैठक आयोजित की जाती है, का विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में, जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, पात्र होते और ऐसी पदोन्नति उस वर्ष–विशेष में, जिससे ऐसी रिक्तियां संबंधित हैं, पदोन्नति के लिए लागू कसौटी और प्रक्रिया द्वारा विनियमित होंगी और इस प्रकार पदोन्नत किये गये किसी पदधारी की ऐसी कालावधि की सेवा/अनुभव को, जिसके दौरान उसने ऐसे पद के कर्तव्यों का वास्तव में पालन नहीं किया है, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए गिना जायेगा। इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्ति का वेतन ऐसे वेतन पर पुनर्निर्धारित किया जायेगा जो वह अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त कर रहा होता, किन्तु वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(12) सरकार या, नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख को देखने से ही प्रकट किसी भूल या गलती के कारण या समिति के विनिश्चय को सारवान् रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक गलती के कारण या किन्हीं भी अन्य पर्याप्त कारणों से उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय/निदेश या जहां किसी व्यक्ति के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में की प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाल दिया गया है या उसमें परिवर्तन कर दिया गया है, या उसे दिया गया दण्ड अपास्त या कम कर दिया गया है, पूर्व में हुई समिति की कार्यवाहियों के पुनर्विलोकन के लिए आदेश दे सकेगा। पुनर्विलोकन समिति की बैठक आयोजित किये जाने के पूर्व कार्मिक विभाग की और (जहां आयोग सहबद्ध हो) आयोग की सहमति सदैव प्राप्त की जायेगी।

(13) जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो वहां समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियांनियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके नामों पर समिति द्वारा विचार किया गया है, वैयक्तिक पत्रावलियों और वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों सहित, आयोग को अग्रेषित की जायेंगी।

(14) आयोग, समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियों, साथ ही नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर विचार करेगा और जब तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझा जाये, सूचियों का अनुमोदन करेगा। यदि आयोग नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। आयोग की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी उन सूचियों का ऐसे उपान्तरणों सहित, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हों, अंतिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा और जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार का कोई अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियों में हेरफेर सरकार के अनुमोदन से ही किया जायेगा।

(15) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां उप-नियम (10) के अधीन अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों में से उसी क्रम में की जायेंगी जिस

क्रम में उनके नाम सूचियों में रखे गये हैं, जब तक कि ऐसी सूचियां निःशेष या पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित न हो जायें या, यथास्थिति, प्रवृत्त न रह जायें।

(16) सरकार, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नतियों, नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक मामलों में साम्यापूर्ण और उचित रीति से अनंतिम तौर पर संव्यवहार करने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी जो उस समय निलम्बनाधीन हों या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, जब किसी ऐसे पद पर की पदोन्नतियों पर विचार किया जाये जिसके लिए वे पात्र हैं या ऐसे निलंबन या ऐसी जांच या कार्यवाही के लम्बित रहने के सिवाय पात्र होते।

(17) इन नियमों के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

30. **पदोन्नतियां छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निर्बंधन.**– यदि कोई व्यक्ति अगले उच्चतर पद पर अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर अपने लिखित अनुरोध द्वारा ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है, और यदि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को, पश्चात्वर्ती दो भर्ती वर्षों के लिए, जिनके लिए समिति की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर दोनों ही मामलों में) विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा और ऐसे किसी व्यक्ति का नाम, जो पदोन्नति छोड़ देता है, पश्चात्वर्ती दो भर्ती वर्षों की समिति के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठता–एवं–पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

भाग 6
नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

31. **सेवा में नियुक्ति.**– सेवा में के पद (पदों) पर सीधी भर्ती द्वारा या, यथास्थिति, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, अधिष्ठायी रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियम 25 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों में से योग्यता क्रम में और नियम 29 के अधीन चयनित व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, संपूर्ण

अनुसूचित क्षेत्र को इकाई के रूप में लेते हुए नियुक्ति के स्थान को ध्यान में न रखते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण योग्य होगा, अर्थात् संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र संवृत्त संवर्ग होगा। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को किसी भी हैसियत में इस संवृत्त संवर्ग से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा जिसमें प्रतिनियुक्ति और प्रतिवर्तित प्रतिनियुक्ति भी सम्मिलित है।

32. अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति .– (1) सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस पद पर किसी ऐसे पदधारी की, जो उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न हैसियत में नियुक्ति करके या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो सेवा में सीधी भर्ती के लिए पात्र हो, जब ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबन्धों के अधीन उपबंधित हो, अस्थायी रूप से नियुक्त करके, भरा जा सकेगा :

परन्तु,–

(i) ऐसी कोई नियुक्ति आयोग को उसकी सहमति के लिए, जहां ऐसी सहमति आवश्यक हो, निर्दिष्ट किये बिना एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए चालू नहीं रखी जायेगी और आयोग द्वारा सहमति देने से इनकार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।

(ii) सेवा में के ऐसे किसी पद के संबंध में, जिसके लिए भर्ती की दोनों रीतियां विहित हों, नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार की विनिर्दिष्ट अनुमति के बिना, सीधी भर्ती के कोटे की किसी अस्थायी रिक्ति को पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा, उस स्थिति के सिवाय जबकि ऐसी अस्थायी रिक्ति अल्पकालिक विज्ञापन के पश्चात् तथा सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्तियों में से भरी जाये, तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं भरेगा।

(2) पदोन्नति के लिए पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में, सरकार उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता की शर्तें होने पर भी, वेतन और अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के

अध्यधीन रहते हुए, जो वह निदिष्ट करे, अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर रिक्तियां भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्य अनुदेश अधिकथित कर सकेगी। तथापि, ऐसी नियुक्तियां, उक्त उप–नियम के अधीन यथा–अपेक्षित, आयोग की सहमति के अध्यधीन होंगी।

33. वरिष्ठता .– सेवा में के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् की नियुक्ति नहीं समझी जायेगी :

परन्तु –

(1) किसी प्रवर्ग–विशेष में सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने आदेश जारी होने की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या दीर्घ कालावधि यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसे बढ़ाया गया हो, सेवा ग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम में उनके नाम नियम 26 के अधीन बनायी गयी सूची में रखे गये हैं;

(2) यदि एक ही वर्ष के दौरान सेवा में दो या अधिक व्यक्ति नियुक्त किये जायें तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होगा;

(3) ऐसे चयन के, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अध्यधीन न हो, परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति, उन व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे जो पश्चात्वर्ती चयन के परिणास्वरूप चयनित और नियुक्त किये जाते हैं ;

(4) नियम 6 के उप–नियम (3) के अधीन उपयुक्त विनिर्णीत व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता किसी तदर्थ या स्थानापन्न या अर्जेन्ट अस्थायी आधार पर उनकी निरंतर सेवावधि के अनुसार अवधारित की जायेगी और वे, इन

नियमों के प्रारम्भ की तारीख तक सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा नियमित रूप से नियुक्त किये गये समस्त व्यक्तियों से सामूहिक रूप से रैंक में कनिष्ठ होंगे।

(5) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पारिणामिक वरिष्ठता के साथ आरक्षण रोस्टर बिन्दुओं के निःशेष होने और पदोन्नति की पर्याप्तता होने तक जारी रहेगा। एक बार रोस्टर बिन्दुओं के पूर्ण होने पर, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए चिह्नित रिक्तियां जब कभी भी हों, पदोन्नति में इसके पश्चात् प्रतिस्थापन के सिद्धान्त का प्रयोग किया जायेगा।

स्पष्टीकरण .– पर्याप्त प्रतिनिधित्व से रोस्टर बिन्दू के अनुसार अनुसूचित जातियों का 05 प्रतिशत प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जनजातियों का 45 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अभिप्रेत है। शेष 50 प्रतिशत राज्यपाल/सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल अधिवास के लिए तात्पर्यित है।

(6) अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आने वाली राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, लिपिकवर्गीय सेवा के पदों पर पदोन्नति के प्रयोजन के लिए सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में रखते हुए पद जिससे राज्य सेवा पर पदोन्नति की गयी है, पर पदोन्नति की तारीख को ध्यान में न रखते हुए, तैयार की जायेगी। तत्पश्चात् यह, अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर के पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता के साथ सरकार द्वारा विलयित की जायेगी ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में और उससे बाहर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गयी कुल सेवावधि का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

34. परिवीक्षा की कालावधि .– (1) किसी स्पष्ट रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा :

परन्तु ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह कालावधि, जिसमें किसी व्यक्ति को तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो, परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

(2) उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की कालावधि के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की, जो सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षा की जा सकेगी।

35. कतिपय मामलों में स्थायीकरण .– (1) पूर्ववर्ती नियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सेवा में किसी पद पर अस्थायी तौर पर या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा हुई नियमित भर्ती के पश्चात् उसके सीधी भर्ती द्वारा परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त होने की दशा में दो वर्ष की सेवा की कालावधि या पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने की दशा में एक वर्ष की सेवा की कालावधि संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर छह मास की कालावधि के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा, यदि –

(i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन उस पद पर या उच्चतर पद पर कार्य किया हो या इस प्रकार कार्य करता यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता;

(ii) वह इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यधीन रहते हुए, स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें पूरी करता हो ; और

(iii) विभाग में स्थायी रिक्ति उपलब्ध हो।

(2) उपर्युक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी यदि उक्त उप–नियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो उपर्युक्त उप–नियम (1) में उल्लिखित

कालावधि को राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 और अन्य किन्हीं नियमों में परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के लिए यथाविहित कालावधि तक या एक वर्ष तक, जो भी अधिक हो, बढ़ाया जा सकेगा। यदि वह कर्मचारी फिर भी उपर्युक्त उप–नियम (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो वह ऐसे पद से उसी रीति से सेवोन्मुक्त किये या हटा दिये जाने का दायी होगा जिस रीति से किसी परिवीक्षाधीन–पशिक्षणार्थी को सेवोन्मुक्त किया या हटाया जाता है या वह उस अधिष्ठायी या निम्नतर पद पर, यदि कोई हो, जिसके लिए वह हकदार हो, पदावनत किये जाने का दायी होगा।

(3) उपर्युक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी को उक्त सेवाकाल के पश्चात् स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जायेगा यदि उसके द्वारा समाधानप्रद रूप से कार्य करने के प्रतिकूल कोई कारण उसे उक्त सेवा अवधि के दौरान संसूचित न किया गया हो।

(4) उपर्युक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को स्थायी न करने के कारणों को नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवा पुस्तिका/सेवावृत्त और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अभिलिखित करेगा।

स्पष्टीकरण :

(i) इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित भर्ती से अभिप्रेत है :–

(क) इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार भर्ती की किसी भी रीति द्वारा या सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय की गयी नियुक्ति ;

(ख) उस पद पर नियुक्ति, जिसके लिए कोई सेवा नियम विद्यमान न हो, यदि पद आयोग के अधिकार क्षेत्र के भीतर हों तो आयोग के परामर्श से भर्ती ;

(ग) नियमित भर्ती के पश्चात् स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति, जहां सेवा नियम इसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात करते हों ;

(घ) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें नियमों के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया हो, नियमित रूप से भर्ती किये हुए समझे जायेंगे :

परन्तु इसमें ऐसी अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति या स्थानापन्न पदोन्नति सम्मिलित नहीं होगी जो पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के अध्यधीन हो।

(ii) किसी अन्य संवर्ग में धारणाधिकार रखने वाले व्यक्ति इस नियम के अधीन स्थायीकरण किये जाने के पात्र होंगे और वे इस विकल्प का प्रयोग करने के भी पात्र होंगे कि वे अपनी अस्थायी नियुक्ति के दो वर्ष समाप्त होने पर इस नियम के अधीन स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके प्रतिकूल कोई भी विकल्प प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है और पूर्व पद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जायेगा।

36. **परिवीक्षा के दौरान असंतोषप्रद प्रगति .–** यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय, यह प्रतीत हो कि किसी परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी की सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे उस पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा जिस पर उसका, परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप से उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व, नियमित रूप से चयन किया गया था या अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा या उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी को समुचित अवसर प्रदान करेगा :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी मामले में या मामलों के किसी वर्ग में, यदि उचित समझे तो किसी परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के परिवीक्षाकाल को ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा जो एक वर्ष से अनधिक हो सकेगी।

37. **स्थायीकरण.–** नियम 35 के अधीन परिवीक्षा पर रखे गये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि –

(क) उसने विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर ली हो ;

(ख) उसने हिन्दी में प्रवीणता संबंधी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो ; और

(ग) सरकार का यह समाधान हो जाये कि उसकी सत्यनिष्ठा शंकास्पद नहीं है और यह कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

भाग 7
वेतन

38. **वेतनमान** .– सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति का चालू वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर मंजूर किया जाये बशर्ते कि परिवीक्षाकाल के दौरान अनुज्ञात नियत पारिश्रमिक/वेतन नियम 39 में यथा निर्दिष्ट हो।

39. **परिवीक्षा के दौरान वेतन.**– सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किसी परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी को, परिवीक्षाकाल के दौरान ऐसी दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किया जाये :

परन्तु सरकारी सेवा में भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से चयनित किसी कर्मचारी को, परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा के दौरान पद के विद्यमान चालू वेतन बैंड में उसके स्वयं के ग्रेड वेतन में उसकी परिलब्धियां या नये पद का नियत पारिश्रमिक, जो भी उसके लिए लाभप्रद हो, अनुज्ञात किया जा सकेगा।

40. **वेतन, छुट्टी, भत्ते, अंशदायी पेंशन आदि का विनियमन.**– इन नियमों में यथा–उपबंधित के सिवाय, सेवा के सदस्य का वेतन, भत्ते, अंशदायी पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी :–

1. राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय–समय पर यथा–संशोधित ;
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय–समय पर यथा–संशोधित ;
3. राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय–समय पर यथा–संशोधित ;
4. राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

5. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, समय–समय पर यथा–संशोधित ;6. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

7. राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

8. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

9. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये और/या तत्समय प्रवृत्त कोई केन्द्रीय/राज्य अधिनियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हों।

41. नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति .– अपवाद सापेक्ष मामलों में जहां सरकार के प्रशासनिक विभाग का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां सरकार की यह राय हो कि किसी व्यक्तियों की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कार्मिक विभाग की सहमति से आदेश प्रसारित करके इन नियमों के सुसंगत उपबंधों से, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी :

परन्तु :

(i) ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पूर्व में अन्तर्विष्ट उपबंधों से कम अनुकूल नहीं होगा। शिथिलीकरण के ऐसे मामले, जहाँ आवश्यक हो, प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(ii) इस नियम के अधीन विहित सेवा की कालावधि या अनुभव में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगा।

42. **शंकाओं का निराकरण** .— यदि इन नियमों के लागू होने और उनकी व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

43. **अन्य सेवा नियमों का लागू होना** .— इन नियमों में यथा उपबंधित को छोड़कर, राजस्थान विभिन्न अधीनस्थ सेवा नियम, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के अन्य उपबन्ध इन नियमों द्वारा शासित पदों पर भी लागू होंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

ह०

(दिनेश यादव)
संयुक्त शासन सचिव